स्पीड पोस्ट द्वारा

DGT-TCD031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 10.02.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
सुशीला देवी निजी आईटीआई,
गाँव-नारी बारी पोस्ट-नारी बारी थाना-शंकरघर,
जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 212106

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

इस निदेशालय को दिनांक 15.01.2021 को श्री राज बहादुर सिंह, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ० प्र० के द्वारा एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमे बताया गया है कि सुशीला देवी निजी आईटीआई, (MIS Code PR09901027) में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं (प्रति सलंग्न है)।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 26.02.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए
- शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे|

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश ।
2. श्री राज बहादुर सिंह, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ० प्र०।
3. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है ।

(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

Dir (TC)

Affiliation AM (AD)

AD(BS)

सेवा में,

महानिदेशक,
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय,
प्रशिक्षण महानिदेशालय,
कमरा नं0–105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आई.ए.आर.आई. कैम्पस, पूसा,
नई दिल्ली–110012

TC Section, DGT Dy. No. 3818 Date 15/12/21

विषय :– निजी आई0टी0आई0 के फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सम्पूर्ण जानकारी देते हुए इस बात से सूचित कराना चाहता हूँ कि सुशीला देवी निजी आई0टी0आई0–3646 (PR09901027) कोरांव रोड़, नारी–बारी, प्रयागराज व श्री राधेश्याम निजी आई0टी0आई0 2954, (PU09900007) गंगापुरम्, नैनी, प्रयागराज दोनो निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एक ही हैं, तथा निम्नलिखित कमियों के बावजूद प्रशिक्षण के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है–

1. उक्त निजी संस्थान डी0जी0ई0टी0 के मानक के अनुसार नहीं हैं ना ही इस संस्थान में कोई कम्प्यूटर लैब है और न ही छात्रों के बैठने की व्यवस्था।
2. उक्त निजी आई.टी.आई. में मशीनरी व टूल्स में नहीं हैं निरीक्षण के दौरान पहले निजी आई.टी.आई. के टूल्स दूसरी निजी आई.टी.आई. में रखकर धोखे से निरीक्षण कराया गया।
3. उक्त निजी संस्थानों के छात्र प्रशिक्षण देने नहीं बुलाया जाता सिर्फ उनसे रूपये वसूले जाते हैं और कहा जाता है कि A ग्रेड से पास करवा दिया जायेगा संस्थान में आने की आवश्यकता नहीं है।
4. छात्रों का प्रवेश भी उनकी योग्यता के अनुसार नहीं किया जाता जो व्यवसाय गणित/विज्ञान विषय की अनिवार्यता में प्रवेश होना चाहिए उनके विषय न होने पर भी प्रवेश दे दिया जाता है।
5. उक्त दोनों संस्थानों में मानक के अनुसार विद्युत कनेक्शन नहीं है।
6. प्रशिक्षण के लिए कोई अनुदेशक नहीं है जो है वो आई.टी.आई. पास है तथा उन्हीं में से एक को प्रधानाचार्य नामित कर दिया गया है।

उपरोक्त जितने भी तथ्य फर्जीवाड़े के उल्लेख किये गये हैं पूर्णतः सही है इसकी गहनता से जाँच कराने तथा भारत सरकार को धोखे में रखने के इस फर्जीवाड़े को बन्द करवाने का कष्ट करें साथ ही इस अपराध की सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

भवदीय

(राज बहादुर सिंह)
एडवोकेट
उच्च न्यायालय इलाहाबाद